—:कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बरेली:—

पत्रांकःक0स0 / अंग्रेजी मा0 / प्रा0मान्यता / 2151-56 / 2022—23 दिनाँकः 12/06/2023

प्रबन्धक,

चिक्कर इण्टर नेशनल स्कूल, निकट महानगर पीलीभीत रोड—बरेली।

विकास क्षेत्र—महानगर—बरेली।

विषयः—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए स्थायी मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **चिक्कर इण्टर नेशनल स्कूल, निकट महानगर पीलीभीत रोड—बरेली, विकास क्षेत्र महानगर—बरेली, बरेली** को दिनाँक 09—06—2023 से **कक्षा एक से कक्षा—पॉच तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए औपबन्धित **स्थायी मान्यता** प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध—1) एवं धारा 12(1)(ग) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध—2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएँगा।
4. पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगाः—

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —

कुल निर्मित क्षेत्र —

NOTARY ANIL K. JAISWAL Advocate Bareilly (U.P.) GOVT. OF INDIA

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School
Manager

कीडा स्थल का क्षेत्रफल --
कक्षाओं की संख्या --
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडारगृह के लिए कक्ष ---
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक शौचालय -
पेयजल सुविधा ---
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई ---
बाधारहित पहुँच ---
अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता ---

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चल जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायट द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि/व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाय जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सख्यांक 02 / 09.06.2023 तथा ऑनलाइन स्थायी मान्यता संख्या 4587-94 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात / प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

संलग्नक:–<u>ऑनलाइन स्थायी मान्यता आदेश की प्रति</u>

(विनय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

पृ0सं0:क0स0 / अंग्रेजी मा0 / प्रा0मान्यता / ____________ / 2023–24 तददिनॉक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल–बरेली।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
5– जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
6– जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
7– खण्ड शिक्षा अधिकारी, महानगर–बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

ATTESTED

Anil Kumar Jaiswal
Advocate & Notary
Bareilly (U.P.)

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School
Manager

Form No:7201

Office of the District Basic Education Officer
BAREILLY

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Chickar International School,Opp Mahanagar Colony Pilibhit Bypass Bareilly is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to Chickar International School is 4587-94.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE 09-06-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type Old

4.School Type Pre-Primary School and Primary School

5.Recognition No. 4587-94

DATE:- 09-06-2023

PLACE:- BAREILLY

District Basic Education Officer

Signature valid

Date: 2023.06.09 14:35:16
Reason: For Digital Signature
Location: BAREILLY

Notary
3/7/2023

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital Web.in

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School

Manager

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांकः क0स0(प0)/मान्यता/ 3014-21 /2023-24 दिनाँकः 30/06/2023

ANIL K. JAISWAL
Advocate
Bareilly (U.P.)
Regd. No.

प्रबन्धक,
चिक्कर इण्टरनेशनल स्कूल,
महानगर कालोनी के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड,
विकास खण्ड--महानगर, बरेली।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं चिक्कर इण्टरनेशनल स्कूल, महानगर कालोनी के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड, महानगर, बरेली को मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक– 27.06.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ऑनलाइन मान्यता पत्रक में अंकित तिथि से कक्षा छः से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) दिनांक– 28.06.2023 से स्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School

Manager

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —
कुल निर्मित क्षेत्र —
कीडा स्थल का क्षेत्रफल —
कक्षाओं की संख्या —
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडारगृह के लिए कक्ष —
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक शौचालय —
पेयजल सुविधा —
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई —
बाधारहित पहुँच —
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता —

NOTARY
ANIL Kr. JAISWAL
Advocate
Bareilly (U.P.)
Regd. No. 1751
Valid upto
09-07
GOVT.

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चला जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित ऑनलाइन मान्यता संख्या 4543-50 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(विनय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पृ0सं0: क0स0(प0)/मान्यता/ /2023–24 तददिनॉक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल–बरेली।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
5– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
6– जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

ATTESTED
Anil Kumar Jaiswal
Advocate & Notary
Bareilly (U.P.)
2023

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School
Manager

Form No:5432

Office of the District Basic Education Officer
BAREILLY

NOTARY
ANIL K. JAISWAL
Advocate
Bareilly (U.P.)
Regd. No. 1751
Valid upto
09-07-2025
GOVT. OF INDIA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that Chickar International School,Opp Mahanagar Colony Pilibhit Bypass Bareilly is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to Chickar International School is 4543-50.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	28-06-2023(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	4543-50

DATE:- 28-06-2023

PLACE:- BAREILLY

District Basic Education Officer

Signature valid

Date: 2023-06-28 15:26:02
Reason: For Digital Signature
Location: BAREILLY

ATTESTED

Anil Kumar Jaiswal
Advocate & Notary
Bareilly (U.P.)
3/7/2023

Note This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School

Manager

कार्यालयः सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।

पत्रॉक–बेसिक/ 6288-89 /2023–24 दिनॉक– 13-2-2024

प्रबन्धक
चिक्कर इण्टरनेशनल स्कूल,
महानगर, पीलीभीत बाईपास रोड,
बरेली।

आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनॉक–12.01.2024 के द्वारा विद्यालय में संचालित प्री प्राइमरी से 12 तक की कक्षाओं के चार वर्ग (ए, बी, सी, डी) में अतिरिक्त कक्ष/सैक्शन के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है

उपरोंक्तानुसार विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अपेक्षित उक्त चार वर्ग में अतिरिक्त कक्ष/सैक्शन संचालित करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या–575/68–3–2018–2041/2023 शिक्षा अनुभाग–3 दिनॉक–26 सितम्बर, 2023 में निहित कक्षा–कक्षों के भौतिक प्रतिबन्धों एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कक्षाओं में शिक्षक–छात्र अनुपात का अनुपालन किया जाये।

(विनय कुमार)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
तृतीय मण्डल, बरेली।

पृ0सं0–बेसिक/ /2023–24 दिनॉकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
तृतीय मण्डल, बरेली।

Principal
CHICKAR INTERNATIONAL SCHOOL
Opp. Mahanagar, Pilibhit By Pass Road
Bareilly

For Chickar International School

Manager